



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052022-235608
CG-DL-E-07052022-235608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2028]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944

No. 2028]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

का.आ. 2133(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) के खंड 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, इसके द्वारा मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है। परिवहन और राजमार्ग ने सो.नो. 3672(अ) दिनांक 25th जुलाई 2018, सो.नो. 5148(अ) दिनांक 4th अक्टूबर 2018, सो. नो. 4370(अ) दिनांक 3rd दिसंबर 2020, सो. नो. 2367(अ) दिनांक 17th जुलाई 2021.

उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची में क्रमांक के (i) कॉलम (2) के सामने सं.(2) भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) से संबंधित संयुक्त कलेक्टर (वीएस, डब्ल्यूएस एंड डी) के स्थान पर "संयुक्त कलेक्टर, एलुरु जिला, एलुरु" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा, (ii) क्रमांक (5) के कॉलम . जिले से संबंधित संख्या (2) को मंडलों के लिए पश्चिम गोदावरी के स्थान पर "एलुरु" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा 1. चिंतालपूडी, 2. टी. नरसापुरम, 3. जंगारेड्डीगुडेम, और 4. कोयालागुडेम, खम्मम से देवरापल्ली ग्रीन तक के खंड के लिए आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरणों के कार्यों को करने के लिए एनएच-365बीजी के फील्ड संरेखण अनुभाग।

नए जिलों के गठन के कारण आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में 365BG के लिए CALA नामकरण और जिले के नाम में परिवर्तन।

आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन के कारण CALA नामकरण और जिले के नाम में परिवर्तन।

[फा. सं. NHA/PIU-KMM/K-D/DPR/LA/3a/2018/ Corrigendum]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6 May, 2022

S.O. 2133(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the Gazette Notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published vide S. O. 3672 (E) dated 25th July 2018, S.O. No.5148(E) dated 4th October 2018, S.O. No.4370(E) dated 3rd December 2020 and S. O. No.2367(E) dated 17th July 2021.

In the Schedule to the said Notifications against (i) column (2) of Sl. No.(2) relating to Competent Authority for Land Acquisition (CALA) shall be substituted as "**Joint Collector, Eluru District, Eluru**" in place of **Joint Collector (VS, WS & D)**, (ii) column (5) of Sl. No.(2) relating to District shall be substituted as "**Eluru** " in place of **West Godavari** for the mandals 1. Chintalapudi, 2. T.Narasapuram, 3.Jangareddygudem, and 4.Koyyalagudem, for the stretch from Khammam to Devarapalli Green Field alignment Section of NH-365BG to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Change of CALA Nomenclature and District Name for 365BG in Eluru District of Andhra Pradesh, due to formation of new Districts.

Due to the formation of new districts in the state of Andhra Pradesh Change in CALA Nomenclature and District Name.

[F. No. NHAI/PIU-KMM/K-D/DPR/LA/3a/2018/ Corrigendum]

RAJESH GUPTA, Director